भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4009
दिनांक 19.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

पेयजल का संदूषण

4009. श्री यूसुफ पठानः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) संपूर्ण देश में फ्लोराइड और आर्सेनिक तत्वों से दूषित पेयजल के कारण प्रभावित राज्यों का जिला-वार ब्यौरा क्या है:
(ख) पश्चिम बंगाल सहित ऐसे राज्यों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;
(ग) क्या सरकार ने 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण घर में, विशेषकर आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में, पर्याप्त मात्रा में नल से पेयजल की आपूर्ति नियमित रूप से करने का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज तक जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत कितने जिलों को शामिल किए जाने की संभावना है; और
(ङ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जेजेएम के तहत सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल को वर्ष-वार कितनी निधि स्वीकृत की गई है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (घ) भारत सरकार देश के सभी ग्रामीण परिवारों को निर्धारित गुणवत्ता के साथ पर्याप्त मात्रा में तथा नियमित और दीर्घकालिक आधार पर सुरक्षित तथा पीने योग्य नल जल आपूर्ति के लिए प्रावधान करने हेतु प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य के लिए, भारत सरकार ने माह अगस्त 2019 में राज्यों की भागीदारी से कार्यान्वित किए जाने वाले जल जीवन मिशन (जेजेएम) की शुरूआत की। जल जीवन मिशन के तहत, मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं के माध्यम से आपूर्ति किए जा रहे पानी की गुणवत्ता के लिए मानदंड के रूप में भारतीय मानक ब्यूरो के बीआईएस: 10500 मानदंड को अपनाया जाता है। पेयजल राज्य का विषय है और इसलिए जल जीवन मिशन की स्कीमों सहित पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और अनुरक्षण की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

सरकारों की है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है।

जल जीवन मिशन के शुभारंभ के बाद से ग्रामीण परिवारों हेतु नल जल की सुविधा का विस्तार करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। माह अगस्त, 2019 में जल जीवन मिशन की शुरूआत के समय, देश में 3.23 करोड़ (16.72%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, दिनांक 16.12.2024 की स्थिति के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किया गया है कि जेजेएम के तहत लगभग 12.12 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, दिनांक 16.12.2024 की स्थिति के अनुसार, 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से लगभग 15.36 करोड़ (79.35%) परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत, परिवारों को नल जल आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए जल आपूर्ति स्कीमों की योजना बनाते समय रासायनिक संदूषकों से प्रभावित बसावटों को प्राथमिकता दी जाती है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों का आबंटन करते समय रासायनिक संदूषकों से प्रभावित बसावटों में रहने वाली आबादी को 10% भारांक महत्व दिया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जल गुणवत्ता संबंधी समस्याओं वाले गांवों के लिए वैकल्पिक सुरक्षित जल स्रोतों पर आधारित पाइपगत जल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना और कार्यान्वयन करने की सलाह दी गई है।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत यह परिकल्पना की गई थी कि स्वच्छ जल स्रोत पर आधारित पाइपगत जल आपूर्ति स्कीम की आयोजना, कार्यान्वयन और उसे शुरू करने में समय लग सकता है, अत: अंतरिम उपाय के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे प्रत्येक परिवार को पेयजल और खाना पकाने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष रूप से आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित बसावटों में सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्र (सीडब्ल्यूपीपी) स्थापित करें। जल जीवन मिशन की शुरूआत से मिशन के अंतर्गत किए गए प्रयासों के कारण सूचित आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित बसावटों की संख्या में विगत वर्षों में कमी आई है। इसके अतिरिक्त, शेष सभी 255 फ्लोराइड और 314 आर्सेनिक प्रभावित बसावटों में खाना पकाने और पीने की आवश्यकताओं के लिए स्वच्छ पेयजल का प्रावधान सीडब्ल्यूपीपी/आईएचपी के माध्यम से किया गया है। राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है। पश्चिम बंगाल में सभी 37 फ्लोराइड और 57 आर्सेनिक प्रभावित बसावटों में खाना पकाने और पीने की आवश्यकताओं के लिए स्वच्छ पेयजल का प्रावधान किया गया है।

(ङ) जेजेएम के तहत पिछले तीन वर्षों (2021-22, 2022-23 और 2023-24) और चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 (16.12.2024 तक) के दौरान निधि आवंटन, आहरित निधि और पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा सूचित किए गए निधि उपयोग का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष	केंद्रीय					राज्य हिस्से के तहत व्यय
	अथ शेष	आबंटन	आहरित निधि	उपलब्ध निधि	संसूचित उपयोग	
2021-22	757.58	6,998.97	1,404.61	2,162.19	1,547.52	725.77
2022-23	614.67	6,180.25	3,090.12	3,704.79	1,953.73	3,204.21
2023-24	1,751.06	3,806.29	4,206.29	5,957.35	5,004.16	5,155.11
2024-25*	953.19	5,049.98	2,524.99	3,478.18	2,596.57	2,833.52

*16.12.2024 की स्थिति के अनुसार

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस

*****

दिनांक 19/12/2024 को उत्तर हेतु नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4009 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

फ्लोराइड प्रभावित बसावटों का राज्य और जिला-वार विवरण (*16/12/2024 की स्थिति के अनुसार*)

राज्य	जिला	फ्लोराइड प्रभावित बसावटों की संख्या	सीडब्ल्यूपीपी/आईएचपी से कवर
ओडिशा	बालनगिर	8	8
	मालकनगिरि	4	4
	मयूरभंज	2	2
पंजाब	फतेहगढ़ साहिब	12	12
	फिरोजपुर	1	1
	पटियाला	101	101
	संगरूर	3	3
	तरण तारण	2	2
राजस्थान	अलवर	16	16
	बाड़मेर	4	4
	भिलवाड़ा	1	1
	बिकानेर	1	1
	चित्तौड़गढ़	1	1
	दौसा	9	9
	जैसलमेर	25	25
	झुंझूनूं	1	1
	नीम का थाना	2	2
	पाली	3	3
	फालोड़ी	21	21
	सीकर	1	1
पश्चिम बंगाल	बिरभूम	10	10
	पुरुलिया	27	27
कुल		**255**	**255**

आर्सेनिक प्रभावित बसावटों का राज्य-वार और जिला-वार विवरण (*16/12/2024 की स्थिति के अनुसार*)

राज्य	जिला	फ्लोराइड प्रभावित बसावटों की संख्या	सीडब्ल्यूपीपी/आईएचपी से कवर
पंजाब	अमृतसर	122	122
	फाजिलका	3	3
	फिरोजपुर	7	7
	गुरदासपुर	100	100
	रूपनगर	1	1
	तरण तारण	24	24
पश्चिम बंगाल	मालडा	37	37
	मुर्शिदाबाद	16	16
	उत्तर 24 परगना	4	4
कुल		**314**	**314**

*****